

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :- पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

मिसल न0- 15/2024

अनवान :-

1. पुष्पादेवी पुत्री हरचन्द जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

सायला

बनाम्

1. खजानीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
2. चंचल पुत्री भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
5. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
6. भजनलाल पुत्र भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
7. सोनादेवी पुत्री भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
8. चोरूलाल पुत्र रामेश्वर जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
9. भागु उर्फ मांगीलाल पुत्र चानणराम जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर

असल गैरसायल

10. कमलेश पत्नी नन्दलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
11. दिनकर सिंह पुत्र कंवरसैनी जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. पुष्कर सिंह पुत्र कंवरसैनी जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. महेन्द्र सिंह पुत्र कंवरसेनी जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. भंवरी पुत्री हरचंद जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
15. मंजू पुत्री नन्दलाल जाति सैनी निवासी गंगानगर तहसील गंगानगर
16. मोहनलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
17. राजेन्द्र पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
18. रामलाल पुत्र प्रेमराम जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. पिकी पत्नी विरेन्द्र जाति सैनी निवासी गंगानगर तहसील गंगानगर
20. प्राजल पुत्री विरेन्द्र जाति सैनी निवासी गंगानगर तहसील गंगानगर
21. गोरू पुत्र विरेन्द्र जाति सैनी निवासी गंगानगर तहसील गंगानगर
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

- तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री मांगेराम गोदारा अभिभाषक, सायल
श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक : 20/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 113/95 के प0न0 332/426(9) के किला न0 16 ,25 प0न0 332/427(12) के किला न.0 5/1 ,5/2 प0न0 333/426(8) किला न0 19 ता 23 प0न0 333/427(13) किला न0 1 ता 3 ,8 ,9 ,12 कुल 3.5420हैक तथा खाता संख्या 75/62 के प0न0 334/426(7) के किला न0 21 प0न0 334/427(14) किला न0 1 ,9 ता 12 ,20 की भूमि सायला एवं तरतीबी गैरसायलान की खातेदारी भूमि है तथा सायला गैरसायलान के चिपते हुए खाता संख्या 46/32 के प0न0 333/426(8) के किला न0 24 ,25 प0न0 333/427 (13) किला न0 4 ता 7 ,13 ता 18 23 ता 25 प0न0 333/428 (17) के किला

न० 1 ता 9 ,12 ,13 ,प०न० 334/427(14) किला न० 21 ,24 ,25 प०न० 334/428(16) किला न० 1 ,5 कुल 7.1350हैक्ठ भूमि गैरसायलान की भूमि है।

सायला व तरतीबी गैरसायलान मंजूरशुद्धा रास्ता जो प०न० 332/426 व 332/427 से होकर जाता है से चलकर अपने खेत प०न० 332/427 के किला न० 1 ता 5 में से होकर प०न० 334/427(14) के किला न० 1 ,2 में प्रवेश करती है यही सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है इसी रास्ता से सदामत से आवागमन करती आ रही है।

प०न० 333/427(14) के किला न० 1 ता 3 सायल व तरतीबी गैरसायल के हैं तथा किला न० 4 ,5 गैरसायल संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज हैं उक्त रास्ता मौके पर चालु है लेकिन राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण गैरसायल संख्या 1 ता 9 के साथ हमेशा झगडा रहता है तथा रास्ता बन्द करने की घमकी देते हैं इसलिये प०न० 333/427(14) के किला न० 1 ता 3 जो सायला के खुद के खाते में है किला न० 4 ,5 जो गैरसायल संख्या 1 ता 9 के नाम दर्ज है मे से उत्तरी दिशा में पश्चिम से पूर्व की तरफ 1-1 विश्वा रास्ता स्वीकृत करवाने के अधिकारी है तथा उक्त रास्ते के बदले में किला न० 4 ,5 में भूमि देने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर के प०न० 333/427(13) के किला न० 1 ता 5 में उतरी दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे बदले में सायला के खाते में 2 बिश्वा भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये शेष गैरसायलान रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षिय कार्यावाही की गई तथा तरतीबी प्रतिवादीगण के विरुद्ध रिलिफ नहीं होने के कारण तर्क/तलब नहीं किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 7 के अधिवक्ता ने सायल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

प्रार्थीया ने रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प०न० 334/427(14) के किला न० 1 ,2 में प्रवेश करने के लिये रास्ता चाहा गया है जबकी प्रार्थीया के प०न० 334/427 के (14) के किला न० 1 ,10 ,9 ,11 ,12 ,20 के चिपते किला न० 15 के मिन पूर्व में स्वीकृत रास्ता है जो की नजदीकी व सुविधाजनक है जो की प्रार्थीया के खेत के 13 ,14 ,15 में होकर सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत करवा सकती है तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया खेत में आवागमन हेतु मु०न० 14 के किला न० 2/2 ,3/2 ,4/2 ,5/3 उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम में वैकल्पिक रास्ता होना बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया गया है इसप्रकार प्रार्थना पत्र 251 क तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है प्रार्थीया ने प०न० 334/427 (14) के किला न० 2 हेतु रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थीया किला न० 2 की खातेदार काश्तकार नहीं है सायला क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आई है सायला ने


रास्ता मु0न0 13 के किला न0 1 ता 5 में चाहा गया है किला न0 5 में मिन पूर्व में गैर मुमकिन खाला दर्ज है सिचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है गैर मुमकिन खाला के उपर से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ना ही सायला के किला न0 1 को जोड़ता है तरतीबी गैरसायल संख्या 10 ता 22 के नाम मु0न0 13 के किला न0 1 ,2 ,3 दर्ज है जिनकी सहमति भी नहीं है इसलिये रास्ता चाहने का औचित्य नहीं है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि सायला को पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं खाला के उपर से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने /मैनटेबल नहीं होने के कारण खारिज फरमावे।

गैरसायल का जबाब शामिल मिलस किया जाकर तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली जाकर शामिल मिसल की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला को उसकी खातेदारी भूमि में पहुंचने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है सायला रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 333/427(13) के किला न0 1 ता 5 में उत्तरी दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे बदले में सायला के खाते में 2 बिश्वा भूमि गैरसायलान के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे इसी रास्ते से सदामत से आवागन करती आ रही है सायला प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

गैरसायलान के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 334/427(14) के किला न0 1 ,2 में प्रवेश करने के लिये रास्ता चाहा गया है जबकी प्रार्थीया के प0न0 334/427 के (14) के किला न0 1 ,10 ,9 ,11 ,12 ,20 के चिपते किला न0 15 के मिन पूर्व में स्वीकृत रास्ता है जो की नजदीकी व सुविधाजनक है जो की प्रार्थीया के खेत के 13 ,14 ,15 में होकर सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता स्वीकृत करवा सकती है तथा मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीया खेत में आवागमन हेतु मु0न0 14 के किला न0 2/2 ,3/2 ,4/2 ,5/3 उत्तरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम में वैकल्पिक रास्ता होना बिन्दु संख्या 4 में अंकित किया गया है इसप्रकार प्रार्थना पत्र 251 क तथ्यों को छुपाकर पेश किया गया है प्रार्थीया ने प0न0 334/427 (14) के किला न0 2 हेतु रास्ता चाहा गया है जबकि प्रार्थीया किला न0 2 की खातेदार काश्तकार नहीं है सायला क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आई है सायला ने रास्ता मु0न0 13 के किला न0 1 ता 5 में चाहा गया है किला न0 5 में मिन पूर्व में गैर मुमकिन खाला दर्ज है सिचाई विभाग को पक्षकार नहीं बनाया गया है गैर मुमकिन खाला के उपर से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ना ही सायला के किला न0 1 को जोड़ता है तरतीबी गैरसायल संख्या 10 ता 22 के नाम मु0न0 13 के किला न0 1 ,2 ,3 दर्ज है जिनकी सहमति भी नहीं है इसलिये रास्ता चाहने का औचित्य नहीं है।


उपजण्ड अधिकारी
बोहर

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि सायला को पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है एवं खाला के उपर से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने /मैनटेबल नहीं होने के कारण खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार

रोही मौजा चक 25 एनटीआर के खाता संख्या 113/95 के प0न0 332/426(9) के किला न0 16 ,25 प0न0 332/427(12) के किला न.0 5/1 ,5/2 प0न0 333/426(8) किला न0 19 ता 23 प0न0 333/427(13) किला न0 1 ता 3 ,8 ,9 ,12 कुल 3.5420हैक् तथा खाता संख्या 75/62 के प0न0 334/426(7) के किला न0 21 प0न0 334/427(14) किला न0 1 ,9 ता 12 ,20 की भूमि सायला एवं तरतीबी गैरसायलान की खातेदारी भूमि है तथा सायला एव गैरसायलान के चिपते हुए खाता संख्या 46/32 के प0न0 333/426(8) के किला न0 24 ,25 प0न0 333/427 (13) किला न0 4 ता 7 ,13 ता 18 23 ता 25 प0न0 333/428 (17) के किला न0 1 ता 9 ,12 ,13 ,प0न0 334/427(14) किला न0 21 ,24 ,25 प0न0 334/428(16) किला न0 1 ,5 कुल 7.1350हैक् भूमि गैरसायलान की भूमि है अर्थात सायला एवं गैरसायलान एक दुसरे के चिपते हुए खातेदार काश्तकार है।

सायला का कथन है कि उसे अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने के लिये कोई स्वीकृत रास्ता नहीं है इसलिये रोही मौजा चक 25 एनटीआर के प0न0 333/427(13) के किला न0 1 ता 5 में उत्तरी दिशा में रास्ता स्वीकृत किया जावे गैरसायलान का आक्षेप /विरोध है कि सायला को पूर्व से ही रास्ता उपलब्ध है एवं सायला को छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध हो सकता है इसलिये सायला गैरसायलान की भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाने की अधिकारी नहीं है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट /नजरीय नक्शा के अनुसार प्रार्थीया की भूमि से निकटतक स्वीकृतशुद्धा रास्ता मु0न0 14 के किला न0 5 में एव मु0न0 12 के किला न0 5 में स्थित है।

प्रार्थीया की कृषि भूमि नजरीय नक्शा के अनुसार मु0न0 12 ,13 एव 14 में स्थित है प्रार्थीया की भूमि जो नजरीय नक्शा में मु0न0 न0 12 ,13 हरे रंग से दर्शाई गई है एव मु0न0 14 की भूमि नॉरगी रंग से दर्शाई गई है।

प्रार्थीया की भूमि मु0न0 12 के किला न0 5 में रास्ता स्वीकृत शुद्धा है उससे आगे प्रार्थीया स्वयं की खातेदारी मु0न0 13 के किला न0 1 ,2 ,3 है जिसमें रास्ता स्वीकृत करवाकर अप्रार्थी के मु0न0 13 के किला न0 4 ,5 में रास्ता स्वीकृत करवाकर अपनी खातेदारी भूमि जो नजरीय नक्शा में नारगी रंग से दर्शाई गई मु0न0 14 के किला न0 1 में प्रवेश करना चाहती है अर्थात अप्रार्थी के केवल दो किला जो प्रार्थीया की भूमि के बीच में है में रास्ता स्वीकृत करवाकर अपनी खातेदारी भूमि में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहती है जो न्यायोचित है।

अप्रार्थी का आक्षेप है कि प्रार्थीया को निकटतम दुरी पर रास्ता उपलब्ध है स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि अप्रार्थी के द्वारा बताया गया रास्ता चार किलो में स्वीकृत करवाना


होगा जबकि प्रार्थीया के द्वारा चाहा गया रास्ता केवल दो किलो जो अप्रार्थी के है में स्वीकृत करना होगा शेष भूमि प्रार्थीया स्वय की है अर्थात प्रार्थीया के द्वारा चाहा गया रास्ता उचित है।

प्रार्थीया अपनी दोनो खातेदारी भूमि जो नजरीय नक्शा में हरे रंग एव नॉरगी रंग से दर्शाई गई है के मध्य अप्रार्थी की दो किला भूमि है अप्रार्थी की दो किला भूमि में रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थीया की भूमि रास्ते से जुड जाती है जहाँ से प्रार्थीया आवागमन आसानी से कर सकती है।

नजरीय नक्शा में दर्शाया गया वैकल्पिक रास्ता खाला के साथ लगता हुआ है और वह भी प्रार्थीया की भूमि से अधिक दुरी पर है और चार किलो में रास्ता स्वीकृत करना होगा जबकि प्रार्थीया अप्रार्थी के मात्र दो किलो में रास्ता स्वीकृत करवाकर सुगम आवागमन कर सकती है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीया के द्वारा चाहा गया रास्ता नजरीय नक्शा के अनुसार उचित है क्योकि प्रार्थीया की भूमि मु0न0 न0 12 ,13 ,14 में है प्रार्थीया की भूमि के मु0न0 12 के किला न0 5 तक स्वीकृत रास्ता उपलब्ध है उससे आगे प्रार्थीया स्वय की खातेदारी भूमि मु0न0 12 ,13 में है प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि मु0न0 13 के किला न0 1 ता 3 में रास्ता स्वीकृत करवा कर मु0न0 14 के किला न0 4 ,5 जो अप्रार्थीगण के है में रास्ता स्वीकृत करवाकर अपनी खातेदारी भूमि मु0न0 14 के किला न0 1 में प्रवेश कर जाती है जो सबसे छोटा एवं प्रार्थीया के दोनो खेतो को जोडने के लिये उचित रास्ता है जिसे प्रार्थीया स्वीकृत करवाने की अधिकारी है अप्रार्थी के द्वारा अवगत करवाया गया रास्ता लम्बी दुरी पर एवं प्रार्थीया के खेत से अधिक दुरी व अधिक किलो में एव खाला के साथ लगता हुआ है जो उचित नहीं है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मौका रिपोर्ट/नजरीय नक्शा के अनुसार स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 23 एनटीआर के प0न0 333/427 (13) के किला न0 1 ता 5 में उत्तरी दिशा में एक – एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है उक्त रास्ता में अप्रार्थी के किला न0 4 ,5 की दो बिश्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत होता है इसलिये सायला /प्रार्थीया अप्रार्थीगण को रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि अपनी खातेदारी भूमि मु0न0 14 के किला न0 20 मे से किला न0 21 के चिपते हुए देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/02/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

क्रमांक : राजस्व/2024/
तहसीलदार,
नोहर

दिनांक

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध में
प्रार्थना-पत्र सं0 15/2024 निर्णय दिनांक 20/02/2025

अनवान :-

1. पुष्पादेवी पुत्री हरचन्द जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।

सायला

बनाम्

1. खजानीदेवी पत्नी भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
2. चंचल पुत्री भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
3. देवीलाल पुत्र भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
4. पवन कुमार पुत्र भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
5. बंशीलाल पुत्र भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
6. भजनलाल पुत्र भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
7. सोनादेवी पुत्री भंवरलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
8. चोरूलाल पुत्र रामेश्वर जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
9. भागु उर्फ मांगीलाल पुत्र चानणराम जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर
असल गैरसायल
10. कमलेश पत्नी नन्दलाल जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
11. दिनकर सिंह पुत्र कंवरसैनी जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर।
12. पुष्कर सिंह पुत्र कंवरसैनी जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर।
13. महेन्द्र सिंह पुत्र कंवरसेनी जाति गुजर निवासी नोहर तहसील नोहर।
14. भंवरी पुत्री हरचंद जाति सैनी निवासी 25 एनटीआर तहसील नोहर।
15. मंजू पुत्री नन्दलाल जाति सैनी निवासी गंगानगर तहसील गंगानगर
16. मोहनलाल पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
17. राजेन्द्र पुत्र महावीर प्रसाद जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
18. रामलाल पुत्र प्रेमराम जाति सैनी निवासी नोहर तहसील नोहर।
19. पिकी पत्नी विरेन्द्र जाति सैनी निवासी गंगानगर तहसील गंगानगर
20. प्राजल पुत्री विरेन्द्र जाति सैनी निवासी गंगानगर तहसील गंगानगर
21. गोरू पुत्र विरेन्द्र जाति सैनी निवासी गंगानगर तहसील गंगानगर
22. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

— तरतीबी गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मौजा चक 23 एनटीआर के प0न0 333/427 (13) के किला न0 1 ता 5 में उतरी दिशा में एक — एक बिश्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है उक्त रास्ता में अप्रार्थी के किला न0 4 ,5 की दो बिश्वा भूमि में रास्ता स्वीकृत होता है इसलिये सायला /प्रार्थीया अप्रार्थीगण को रास्ता में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि अपनी खातेदारी भूमि मु0न0 14 के किला न0 20 मे से किला न0 21 के चिपते हुए देगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे ।

al
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)